रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 1984/फाल्गुन 4, 1905
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 1984/PHALGUNA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1984

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 114(अ)/ई(सी)ओ, 1977/एएम/(283) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करता है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में :—

(क) भाग 'ख' अनुसूची-1 में क्रम सं. 62(3) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"क्रम सं. 62(3) रेशम नायल और नायल ड्रापिंग्स ।"

(ख) भाग 'क' अनुसूची-1 में क्रम सं. 40 पर दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"रेशम अपशेष की सभी किस्में, अर्थात् शहतूत, तसर, एरी, मूगा इसमें छेदित कोकून भी शामिल है किन्तु रेशम नायल और नायल ड्रापिंग्स शामिल नहीं हैं ।"

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस 3 में क्रम सं. 41, 42, 43 पर दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियां हटाई जाएंगी :—

41. थोस्टर सिल्क वेस्ट

42. सस्ता रेशम की रद्दी

43. रेशम अवशेष की अन्य किस्में अर्थात्,

1. उबाले हुए कोकून
2. नोमिन रिफयूज
3. फ्लाफ/फ्लोस

4. फिल्मसी कोकून

5. नायल/नायल ड्रापिंग्स

[मि. सं. 19/2/84-ई-1 से जारी]

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक,
(आयात एवं निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 114(E)|E(C)O, 1977|AM|(283).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order. 1977:—

(a) In Part 'B' Schedule-I, the existing entry appearing at S. No. 62(iii) shall be substituted by the following :—

S. No. 62(iii) "SILK NOILS & NOIL DROPPINGS".

(b) In Part 'A' Schedule-I the existing entry at No. 40 shall be substituted by the following :—

"All varieties of Silk Waste i.e. Mulberry, tasar, eri, muga including pierced cocoons but excluding Silk Noils and Noil Droppings".

(c) In OGL-3, the following entries appearing at S. No. 41, 42, 43 shall be deleted :—

41. Throwster Silk Waste.

42. Hard Silk Waste.

43. Other varieties of Silk Waste, viz.

1. Boiled cocoons.
2. Basin refuse.
3. Floff|floss.
4. Filmsy cocoons.
5. Noils|Noil Droppings.

[Issued from F. No. 19|2|84|EI]

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports and Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984